सरकार के उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, डेवलपमेंट कमिश्नर, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज दिल्ली को और उ० प्र० की सरकार और भूमि विकास बैंक को भी जानकारी दी है और मांग की है कि राजकोट में क्यू मार्क वाले डीजल इंजनों की मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक चालू रखे। इस के बारे में केन्द्रीय सरकार का उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश की सरकार और भूमि विकास बैंक को तुरन्त सूचना दे कि राजकोट (सौराष्ट्र) में बनते हुए डीजल आयल इंजनों की क्वालिटी (क्यू) मार्क की मान्यता (रिकगनीशन) चालू रखें और जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर किसानों को सस्ता डीजल इंजन देने की व्यवस्था अभी तक थी, इसे अमल में चालू रखें।

गुजरात सौराष्ट्र के फूलछाब, लोकमान्य, जनसत्ता, संदेश, गुजरात समाचार जयहिन्द वगैरह दैनिक अखबारों में अग्रलेख और समाचार के माध्यम से भी इसके लिए बहुत मांगें की गई है।

डीजल आयल इंजानियरिंग उद्योग को बचाने के लिए और क्यू क्वालिटी मार्क की मान्यता चालू रखने के लिए उद्योग मंत्रालय तुरन्त प्रबन्ध करे, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है।

(iii) Reported Hunger Strike by Labourers of Central Warehousing Corporation, New Delhi

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu): A large number of poor food handling labour of the Central Ware-Housing Corporation Tekh Khand Depot (Okhla, New Delhi) were working in the Depot since its inception under the Contract Labour System which expired on 31st October, 1977 as per the contract Labour (Regulation and Abolishing Act of 1970). The labourers are on relay hunger strike in front of the Central Warehousing Corporation from December 7th, 1977, with a further request to implement the direct payment system.

The wages of the labourers amounting to Rs. 50,000/- approximately, have not been paid besides restoration of all other rights, giving rise to a great unrest in the labour class and it can cause a deadlock besides other law and order situation and complications.

I appeal to the hon. Agriculture Minister and hon. Labour Minister to intervene and solve the problem with a further request that all other benefits to which the labourers are entitled may also be given to them.

A similar problem and situation flowing from the same set of factors is there at Jammu. These Ministers are requested to look into the matter as early as possible to avoid any grave situation which is apt to come out otherwise.

(iv) Reported Decision at the Chief Ministers' Conference about Abolition of Octroi

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन राज्यों द्वारा आक्ट्राय समाप्ति पर केन्द्र द्वारा जो वित्तीय सहायता दिये जाने की बात कही गई थी उसके न दिए जाने पर यह महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो 18 जनवरी 1977 को दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ था केन्द्र सरकार की ओर से परिवहन मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जो राज्य आक्ट्राय समाप्त करेंगे उन्हें इससे जो घाटा होगा उस घाटे को पचास प्रतिशत अनुदान दे कर पूरा किया जाएगा, या यह पचास प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में उस घाटे की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्र के इस आश्वासन के अनुसार आक्ट्राय समाप्त की गई और वित्तीय सहा-

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

यता की मांग की गई किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रश्न को बार बार टाला जा रहा है।

मध्य प्रदेश को इस कारण 16.50 करोड़ का लास हुआ है। उसके कारण केन्द्र द्वारा आधी सहायता जो दी जानी थी वह नहीं दी जा रही है। इसी संदर्भ में विज्ञान भवन में एक बैठक आयोजित हुई थी। उसका एक अंश मैं उद्धृत करना चाहता हूं।

Item 16. National Permit Scheme: Progress and latest position regarding abolition of Octroi.

40. The Chief Minister U.P. pointed out that the number of national permits issued for some zones were inadequate. He was informed that it had been decided to raise the number of permits to 8050. The Union Minister of Shipping and Transport advised Chief Ministers to abolish octroi duty and consider imposing extra tax.

इसके आगे यह महत्वपूर्ण है :

He indicated that the Central Govt. were contemplating to compensate 50 per cent of their loss of revenue due to the abolition of Octroi duty. The Chief Minister of Madhya Pradesh mentioned that this State had already imposed tax at sale point rather than at the Octroi terminal.

केन्द्र सरकार का यह नतिक कर्त्तव्य है और दायित्व भी है कि वह मध्य प्रदेश को जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति की दिशा में कदम उठाए। क्योंकि केन्द्र द्वारा घाटे की पूर्ति न करने से मध्य प्रदेश राज्य पर आर्थिक भार बढ़ा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले में पत्र भी लिखा गया है। उसके बारे में केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की जानकारी न होने की बात कही गई। मैंने इसी संदर्भ में गत 22 मार्च को एक प्रश्न उपस्थित किया था। उसका नकारात्मक उत्तर दिया गया था। यहां श्रम तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी उपस्थित हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वह इस पर विचार करेंगे और इन सभी तथ्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश को जो सहायता दी जानी है और जिस की वह पात्र है, उसको देने की व्यवस्था करेंगे।

(v) REPORT OF EXPERT COMMITTEE RECOMMENDING CLOSURE OF THERMAL POWER STATIONS IN AGRA TO SAVE TAJ MAHAL FROM POLLUTION

SHRI P.K. DEO (Kalahandi): Mr. Deputy Speaker, Sir, it is a matter of great concern that the expert committee appointed by the Department of Technology has reported that the two thermal power stations of 10 M.W. each near the Agra fort and Itmat-du-dullah by releasing sulphur dioxide and other polluting matter and the coal based locomotives in the Agra marshalling yard have caused a threat to Taj Mahal. The Committee has also suggested that no polluting industry should be established north-west of the Taj.

In view of the international importance of Taj Mahal and the Government's primary duty to preserve the Taj Mahal in its original purity, it is urged that the Government should take early action to shift the thermal power stations to a distant place so that no sulphur dioxide or any polluting matter emanating from them can spoil the Taj Mahal and suggest that coal based locomotives be not permitted to operate in the Agra Marshalling Yard.

As a member of the Central Board of Archaeology, I deem it my duty to bring it to the notice of the august House.